राजस्व अपील संख्या 302/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मदनसिंह 2. मोहनसिंह 3. लक्ष्मणसिंह पुत्रान पूंजराजसिंह 4. अन्जूकंवर पत्नि उदयसिंह 5. जीवराज सिंह 6. सुमेरसिंह पुत्रान उदयसिंह 7. उगमसिंह पुत्र मुकनाराम 8. गोपाल सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 9. चंदनसिंह पुत्र मदनसिंह 10.हनुमानसिंह पुत्र मगसिंह 11.जितेन्द्रसिंह पुत्र मगसिंह 12.गणपतसिंह 13.ओमसिंह 14.नारायणसिंह पुत्रान चैनसिंह निवासी– पुरोहित निवासी– खिरजावास तहसील शेरगढ		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के द्वारा आदेश कमांक राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/689 दिनांक 06.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनियॉ, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक05–08–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 130. 132 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम खिरजावास तहसील शेरगढ के संलग्न सूची अनुसार विभिन्न खसरान में चालू/सनातन कदीमी रास्ते व स्थाई रास्तों का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती हेतु पेश किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.12.2021 के द्वारा उक्त प्रस्ताव की भूमियों के हिस्सा रकबा भूमि को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने के निर्देश प्रदान किये गये। अपीलान्टस के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित ख0सं0 950 के रकबा 38.10 बीघा, ख0सं0 1066 अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आई हुई है जिसके चारों तरफ बाडमाठ करके काबिज है। जिसमें से होकर कोई भी कदीमी रास्ता नहीं चलता है न ही पहले से कभी चलता था। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं

प्राकृतिक न्याय के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य खातेदारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व बिना सुनवाई के ही आदेश पारित कर दिया।

वकील अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि तहसीलदार शेरगढ ने राजस्व विभाग के परिपत्र दिनंक 10.08.2016 के अनुसरण में कदीमी रास्तों को राजस्व रेकर्ड में अमदल दरामद व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कराने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पटवारी व भू0अ0निरीक्षक की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर ख0सं0 950 व ख0सं0 1066 में रास्ता तरमीम के लिये प्रस्तुत किया।

वकील अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि पटवारी की ओर अपीलाधीन आदेश में वर्णित ख0सं0 950 व 1066 में राजस्ता चलने की झूठी मौका रिपोर्ट तैयार की गई एवं अपीलान्टस की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 131 में केवल राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि को आगे की जमाबन्दी में अंकन करते समय रही भूल को दुरूस्ती करने का सहमति से आदेश दिया जा सकता है। किसी खसरा नम्बर के नक्शे में परिवर्तन नही किया जा सकता है और न ही खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में किसी भी खातेदार की सहमति नहीं ली गई। ऐसे में तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन नहीं किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवाई व पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत एकतरफा प्रस्ताव पर ही तहसीलदार शेरगढ की ओर से वादग्रस्त भूमि को सीधे ही रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जो निरस्त करने योग्य हैं।

वकील अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि तहसीलदार केवल भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करके रास्ता घोषित करवा सकता है वादग्रस्त भूमि के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू0अ0 निरीक्षक को प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एक निश्चित अवधि तक के लिये ही प्रभावी था उसका अवधि समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो गया था। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन कार्यवाही संस्थित के सम में उक्त परिपत्र प्रभाव में नहीं था। यदि अपीलार्थीगण के भूमि पर कदीमी रास्ता होता तो वक्त सेटलमेन्ट में वह रास्ता दर्ज होता, तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये बिना व अपीलार्थीगण को सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही गैर कानूनी आदेश पारित किया है जो निरस्त किया जावे एवं अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के द्वारा तहसीलदार शेरगढ की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव धारा 130,131, राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम खिरजावास के उल्लेखित खसरान भूमि में चालू सार्वजनिक रास्तें को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वो विधि अनुकूल उचित है, जो बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलान्टस के ने अपीलाधीन आदेश को चुनौती पेश नहीं की है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रकरण दर्ज होने पर आदेश में वर्णित खसरान भूमि के खातेदारान को नोटिस जारी किये गये है एवं काफी काश्तकारों के द्वारा सहमति प्रकट की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा जरिये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 25.11.2021 में उक्त रास्ता कई वर्षो से आम लोगों के लिये चलना बताया है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में अपीलाधीन आदेश से पूर्व उनकी सहमति नहीं लिये जाने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिये का उल्लेख किया है। ऐसे में उक्त अपील में प्रकरण में तहसीलदार शेरगढ को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 के क्रम में तहसीलदार शेरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौका जॉच कर उक्त प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर